Vol. 2 No 1

BiHAR LEGiSLATiVE ASSEMBLY DEBATES

1045
1

OFFICIAL REPORT.

WEDNESDAY, THE 30 TH AUGUST, 1950.

SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING
BIHAR, PATNA.

बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १० अक्टूबर, १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन रांची के सभा वेशम में मंगलवार, तिथि १० अक्टूबर, १९५० को ८-३० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

LEASE OF SARANDA FOREST.

*15. **Shri NANDKISHORE NARAYAN LAL**: Will the hon'ble the Minister, incharge of Forest, be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Saranda forest, one of the richest forests in India, has three ranges in it, namely Koina, Samata and Gua, first two under monopoly lease on long term basis with Shri Babu, H. I. Pathak and M/s. B. T. T. Co., Ltd., owned by M/s. Jardine Henderson, a firm of England , and the third Gua range settled by public auction in small lots annually;

(*b*) whether it is a fact that Babu H. I. Pathak and M/s. B. T. T. Co. pay royalty at the rate of Rs. 17 per unit of three (maximum) and the annual revenue of only five lacs is received from them for the two ranges leased to them;

(*c*) whether it is a fact that several other rebates and concessions are given to them at the above rate for long distance and hill-working ;

(*d*) whether Government have calculated that these two ranges if sold in small lots by auction each will fetch an annual revenue of 10 lacs of rupees;

(*e*) if the answer to clause (*d*) be in the affirmative, whether Government consider the desirability of revising their decision and also enlightening the House of their policy in this respect?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (*a*) Yes, the Saranda forest has the three ranges in it named and the forest in two of them, viz.. Koina and Samta are worked on leases by Babu H. I. Pathak and Messrs. Bengal Timber Trading Co., Ltd., whose managing agents are Messrs. Jardine Henderson. The forests of Gua Felling Series were also being settled by leases until June 1946, when Government decided to change the system of sale of this Felling Series , as an experimental measure, to one of annual auction.

---

*माननीय सदस्य के अनुपस्थिति में श्री जगन्नाथ सिंह के निवेदन पर उत्तर दिया गया।

District Inspector of Schools—Secretary.

Chairman of the District Board—Member.

District Inspectress of Schools—Member.

Superintendent of Basic and Social Education.

Principal of the Senior College of the district.

One representative of the District Primary Teachers Association.

One representative of the District Secondary Teachers' Association.

Headmaster of the Basic Training or Post Basic School and if there is no such institution in the district, the Headmaster of the Zila School.

Three or four non-officials nominated by Government in consideration of their contribution to the educational progress of the district.

Besides the following officers of other Deprtments may be co-opted as members for specific purposes from time to time.—

All Subdivisional Officers.

Executive Engineer.

District Health Officer.

District Agricultural Officer.

District Welfare Officer.

District Publicity Organiser.

श्री महेश प्रसाद सिंह: Non-officials जिनको Government nominate करेगी उनको Government खुद nominate करेगी या किसी के recommendation के ऊपर?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा: District Inspector of Schools के recommendation को सामने रख कर Government decide करेगी।

मानभूम जिले के बेसिक स्कूल।

*३१९। श्री टीकाराम माझी: क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मानभूम जिले में कितने बेसिक स्कूल खोले गये हैं और कौन-कौन स्थान में;

(ख) मानभूम जिले में जितने बेसिक स्कूल खोले गये हैं, वे सब स्कूल ठीक से चलते रहे हैं या नहीं, यदि नहीं, तो उन सब स्कूलों में बेकार रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है;

(ग) क्या सरकार ने उन शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के समय ठीका लिया था कि पास करने पर हर एक शिक्षक को स्कूल में लड़के रहे या नहीं महीने-महीने तलब दिया जायगा?

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा—(क) मानभूम जिले में २४ बेसिक स्कूल निम्नलिखित स्थानों में खोले गये हैं:—

(१) पिण्डराजोरा, (२) डाबरट्टपरा, (३) दुरमा, (४) मिनीडीह, (५) बेलगुमा, (६) वेलतोड़ा, (७) वेलडीह, (८) नन्दुका, (९) जनार्दनडीह, (१०) ढाकशीला, (११) तालाजोरी, (१२) लखनपुर, (१३) फुलजारे, (१४) बांगुड़दा, (१५) कुटीडीह, (१६) कालीमांटी, (१७) चिरूडीह, (१८) कैरा, (१९) नलकुडी, (२०) सोनावाद, (२१) बेलमी, (२२) साहूवहियार, (२३) गोविन्दपुर, (२४) खरनी।

(ख) एक नया स्कूल जिस हालत से चलता है उससे कहीं अधिक अच्छी तरह चल रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

---

*३२०। श्री टीका राम मांझी—क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मानभूम जिले में जिस तारीख से बेसिक स्कूल खोले गये हैं, और उनमें जिन शिक्षकों को बहाली चिट्ठियां दे-देकर की गयी हैं, वे उस समय से आज तक किस अवस्था में है, तथा उन स्कूलों में छात्र की संख्या कितनी हैं;

(ख) मानभूम जिले में जिस तारीख से बेसिक स्कूल खोला गया है शिक्षक लोग कहां रहते हैं, कहां पढ़ाते हैं, मकान में या पेड़ के नीचे;

(ग) लड़कों को पढ़ाने के लिये मकान तथा शिक्षकों को रहने के लिये मकान का प्रबन्ध है या नहीं;

(घ) यदि खंड (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उस नहीं चलने योग्य संस्था को सरकार तोड़ क्यों नहीं देती है?

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा—(क) मानभूम जिले में १९४९ में ४ बेसिक स्कूल, फरवरी १९५० में ३ और अप्रील १९५० में १७ बेसिक स्कूल खोले गये। स्कूलों की अवस्था अच्छी ही है। कहीं-कहीं मकान की दिक्कतें थीं पर उन्हें दूर करने का यत्न किया गया है और किया जा रहा है। कुछ योग्य शिक्षकों को तरक्की दी गयी है। उन स्कूलों में छात्रों की संख्या १,६४९ है।

(ख) शिक्षक सब या तो स्कूल के मकान में या गांव वालों के घर में रहते हैं और पढ़ाते भी वहीं हैं।

(ग) कहीं प्रबन्ध है और कहीं नहीं भी। जहां नहीं है वहां प्रबन्ध किया जा रहा है।

(घ) जहां स्कूल चलने में दिक्कत समझी गयी वहां से स्कूल दूसरे गांव में हटा दिया गया है।

श्री जगत नारायण लाल—मैं जानना चाहता हूं कि अगर स्कूलों की अवस्था अच्छी है तो उनसे कितनी आमदनी होती है और वे किस हद तक self-sufficient हैं।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा—अगर माननीय मेम्बर ने जवाब सुना होगा तो उन्हें समझना चाहिये कि फरवरी-मार्च में स्कूल खुले हैं, इतने ही दिनों में क्या आमदनी होगी इसका हिसाब लगाना मुश्किल है।